न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुनील आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्या:— 100/2010 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :— 2010/00083

उनवान

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री हरचरन जाति ब्राहम्ण निवासी भामतीपुरा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

1. मुन्नी देवी पुत्री चन्द्रकला पत्नी रामप्रकाश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी खुडिला तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।
2. रामजीलाल पुत्र प्रभू कौम ब्राहम्ण निवासी तेहरा तहसील खैरागढ जिला आगरा यू0पी0 (मृतक)
   - 2/1. प्रेम नारायन पांडेय पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी तेहरा तहसील खैरागढ जिला आगरा यू0पी0
   - 2/2. कल्पना शर्मा पुत्री रामजीलाल पत्नी मनोज कुमार शर्मा निवासी आस ब्लॉक जगनेर तहसील खेरागढ जिला आगरा यू0पी0।
   - 2/3. रचना शर्मा पुत्री रामजीलाल पत्नी कुलदीपक निवासी रामनगर डौकी तहसील फतेहाबाद जिला आगरा यू0पी0
3. नत्थीलाल पुत्र प्रभू जाति ब्राहम्ण निवासी तहेरा तहसील खैरागढ जिला आगरा यू0पी0(फौत)
4. शिवचरन } फौत पिसरान शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी खेडली तहसील व जिला धौलपुर।
5. दामोदर }
6. छिद्दू पुत्र मुरली कौम ब्राहम्ण निवासी खेरल तहसील व जिला धौलपुर(फौत दावा अवैट)
7. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर।

.... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 02.11.2010 मि.नं. 31/2005 उनवानी चंद्रकला बनाम रामजीलाल।

अभिभाषकगण :—

1. श्री सुरेश कटारा वकील अपीलांट उपस्थित।
2. श्री राजेन्द्र सिंह राणा वकील रैस्पो0 उपस्थित।

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक–02.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2010 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि चन्द्रकला ने प्रतिवादी रैस्पो0 वगै0 के खिलाफ धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक मुकदमा सन् 1978 में विवादित आराजी कुल किता 9 रकवा 15 बीघा 05 विस्वा वाके ग्राम खेरली तहसील धौलपुर बाबत् इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी काशीराम की खातेदारी की आराजी थी। काशीराम का देहान्त हो गया उसके उत्तराधिकारी द्रौपती पुत्री एवं प्रभू पुत्र था। प्रभू का देहान्त हो गया। उसके वारिसान रामजीलाल व नत्थीलाल हुये, विवादित आराजी में द्रोपती पुत्री काशीराम 1/2 भाग व प्रभू पुत्र काशीराम 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार हुये। दिनांक 25.12.1970 को द्रौपती ने अपनी वसीयत चन्द्रकला पत्नी नत्थीलाल के हक में कर दी एवं दिनांक 15.11.1974 को उक्त वसीयत के आधार पर चन्द्रकला के नाम का दाखिला खुल गया। परन्तु पटवारी हल्का से साजिश कर रामजीलाल व नत्थीलाल ने चन्द्रकला का नामान्तकरण गायब करा दिया और दोनों ने विवादित आराजी अपने नाम करा ली एवं खसरा नम्बर 2645 रकवा 02 बीघा 02 विस्वा का वयनामा दिनांक 19.09.1978 को अपीलाण्ट को कर दिया। वयनामा के आधार पर अपीलाण्ट का नामान्तकरण तस्दीक हो गया। चन्द्रकला का दौराने दावा देहान्त हो गया। रैस्पो0 नं0 01 चन्द्रकला के उत्तराधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत हुआ। रैस्पो0 ने जवाब दावा पेश किया। दिनांक 11.06.1997 को वादिया चन्द्रकला व राजेन्द्र प्रसाद अपीलाण्ट में राजीनामा हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी में वादिया चन्द्रकला को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत हुयी, जो न्यायालय हाजा से दिनांक 18.11.2004 से आंशिक स्वीकार हुयी। दावा अधीनस्थ न्यायालय में पुनः दर्ज रजिस्टर हुआ एवं अपीलाधीन आदेश से पुनः डिक्री कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में धारा 96 जा0दी के तहत प्रस्तुत की गयी।

2. धारा 96 जा0दी0 में अपीलाण्ट का कथन है कि पूर्व में न्यायालय हाजा से अपीलाण्ट को आवश्यक पक्षकार होने एवं दावे में पक्षकार जोडने का आदेश हुआ। परन्तु फिर भी रैस्पो0 द्वारा अपीलाण्ट का पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया। अतः अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट के हित प्रभावित होते हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने का निवेदन किया। हमने मनन किया। प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण नजर आते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ है व काबिल निरस्तनीय हैं। यह है कि प्रकरण में दिनांक 11.06.1991 को चन्द्रकला द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में राजीनामा किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में राजीनामा के संबंध में कोई विवेचना नहीं की गयी है। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी को लेकर निर्णय हुआ। जिसकी अपील न्यायालय हाजा में हुयी। जिसका निर्णय दिनांक 18.11.2004 को हुआ जिसमें अपीलांट को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने के आदेश हुये। परन्तु रैस्पो0 ने अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर पुनः निर्णय पारित करा लिया। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर ही नहीं मिला। भूमि को विक्रय करने के बाद विक्रेता के नाम नहीं चल सकता है। विवादित आराजी को अपीलाण्ट ने रजिस्टर्ड वयनामा से क्रय किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरसी 1999 पेज 291, 2018(2)सीजे(सिविल)राज0 697 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। चन्द्रकला, नत्थीलाल की विधवा है। चन्द्रकला ने दावा किया कि द्रौपती का हिस्सा मुताबिक वसीयत चन्द्रकला को मिलना चाहिये था। उक्त दावे से विवादित आराजी में 1/2 भाग की चन्द्रकला तय हो गयी। दौराने दावा वादिया चन्द्रकला से शिवचरन व दामोदर का राजीनामा हुआ। जिसमें शिवचरन व दामोदर की क्रय भूमि में चन्द्रकला ने अपने अधिकार छोड दिये। चूंकि अपीलाण्ट दावे में पक्षकार ही नहीं थे। अतः अपीलाण्ट को राजीनामा से कोई लाभ नहीं मिलता है। यह राजीनामा नहीं है बल्कि चन्द्रकला की स्वीकारोक्ति है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी रामजीलाल व नत्थीलाल से क्रय की जबकि उनका ना तो विवादित आराजी में कोई स्वत्व था एवं ना ही विवादित आराजी विक्रय करने के अधिकार थे। अपीलाण्ट स्वयं भी दावे में पक्षकार बन सकते थे। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2020(2) पेज 874 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि न्यायालय हाजा से प्रकरण पूर्व में दिनांक 18.11.2004 से अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि प्रकरण में भागीरथ व राजेन्द्र प्रसाद

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलाण्ट के मध्य दिनांक 05.07.1991 को राजीनामा हुआ है। परन्तु उन्हें दावे में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अतः अपीलाण्ट को दावे में पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा बनाये बिना ही पुनः दावा डिक्री कर दिया। इस प्रकार अपीलाण्ट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक न्यायालय को अपने से उच्चतर न्यायालय के निर्णय का सम्मान तथा पालन करना चाहिये। वैसे तो अपीलाण्ट का भी कर्तव्य था कि वह स्वयं दावे में पक्षकार मुकदमा जुड सकते थे। परन्तु उनके द्वारा ऐसा ना करके चूक की है। प्रकरण सन् 1978 से विचाराधीन है। चूंकि अपीलाण्ट ने विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की है। अतः विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया उनका स्वत्व निहित है। इसलिये हम प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय के लिये प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु विवश हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2010 अपास्त किये जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर एवं उन्हें साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि सम्मत निर्णय अधिकतम छः माह में पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.02.2025 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ प्रतिप्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को मेरें द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर